न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 50 / 2025	2025 / 173	17.03.2025	02.04.2025

1– खूबसिंह पुत्र निक्काराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम झिरण्डिया तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास दिनाक 24.07.2024 नामान्तकरण संख्या 1276 वाके ग्राम झिरण्डिया तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित–

01. श्री संजय यादव –वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 1276 निर्णय दिनांक 24.07.2024 वाके ग्राम झिरण्डिया तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि मिन अपीलान्ट ने आराजी खसरा न0 340 रकबा 0.2000 है0 में से 1/2 भाग खातेदार रामकली पत्नी जयसिंह, राजेश, सुभाष, पवन उर्फ पवन कुमार, सतीश, रोहताश पुत्रान जयसिंह, अनीता, सुमन पुत्रीयान जयसिंह जाति मेघवाल निवासी झिरण्डिया प्रत्येक का 1/16, 1/16 भाग कुल खाते का 1/2 भाग रकबा 0.1000 है0 तथा आराजी खसरा न0 166 रकबा 0.2200 है0 में से 56/288 भाग खातेदारान रामकली पत्नी जयसिंह, राजेश, सुभाष, पवन उर्फ पवन कुमार, सतीश, रोहिताश पुत्रान जयसिंह, अनीता, सुमन पुत्रीयान जयसिंह जाति मेघवाल निवासी झिरण्डिया प्रत्येक का 7/288 भाग, 7/288 भाग आर्थात कुल खाते का 56/288 भाग रकबा 0.0427 है0 कुल किता 2 रकबा 0.1427 है0 को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनाक 27.06.2022 को विधिक रूप से प्रतिफल राशि अदा कर खरीद की गयी है, बयनामा उप पंजियक किशनगढबास के द्वारा तस्दीक किया गया। बयनामा के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1276 हल्का पटवारी गंज के द्वारा दिनाक 13.09.2022 को दर्ज करते समय आराजी खसरा न0 340 रकबा 0.2000 है0 की बाबत नामान्तकरण में इन्द्राज सही अंकित कर दिया किन्तु आराजी खसरा न0 166 रकबा 0.2200 है0 खाता संख्या 219 का अंकन विक्रेतागन द्वारा विक्रय किये गये 56/288 हिस्सा में से महज 49/288 हिस्सा दर्ज कर दिया और उपरोक्त नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट तहसीलदार किशनगढबास ने गलत अंकन होने के कारण अस्वीकार करते हुऐ दिनाक 24.07.2024 को खारिज कर दिया। पटवारी हल्का गंज द्वारा बिना विक्रय पत्र का अवलोकन किये व बिना जमाबन्दी को देखे सहवन से/जानबूझ कर नामान्तकरण संख्या 1276 में गलत इन्द्राज कर दिया जिसके अभाव में नामान्तकरण खातेदारी अस्वीकार करते हुऐ खारिज किया गया है। नामान्तकरण संख्या 1276 वाके ग्राम झिरण्डिया में दर्ज आराजी रकबा 0.1427 है0 मिन अपीलान्ट की खरीदशुदा आराजी है, जो विधिवत रूप से खातेदार से क्रंय की गयी है। तथा मिन अपीलान्ट का अपनी

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज0)

खरीदशुदा आराजी पर कब्जा है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 24.07.2024 नामान्तकरण संख्या 1276 वाके ग्राम झिरण्डिया तहसील किशनगढबास हाल खैरथल खारिज किया जावे। तथा अपीलान्ट के पक्ष में आराजी खसरा न0 340 रकबा 0.20 है0 में से 1/2 भाग व आराजी खसरा न0 166 रकबा 0.22 है0 में से 56/288 हिस्सा वाके ग्राम झिरण्डिया तहसील किशनगढबास हाल खैरथल नामान्तरण दर्ज व मंजूर करने की आज्ञा फरमायी जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया अपीलान्ट का मुख्य कथन किया है, कि आराजी खसरा न0 340 रकबा 0.2000 है0 में से 1/2 भाग खातेदार रामकली पत्नी जयसिंह, राजेश, सुभाष, पवन उर्फ पवन कुमार, सतीश, रोहताश पुत्रान जयसिंह, अनीता, सुमन पुत्रीयान जयसिंह जाति मेघवाल निवासी झिरण्डिया प्रत्येक का 1/16, 1/16 भाग कुल खाते का 1/2 भाग रकबा 0.1000 है0 तथा आराजी खसरा न0 166 रकबा 0.2200 है0 में से 56/288 भाग खातेदारान रामकली पत्नी जयसिंह, राजेश, सुभाष, पवन उर्फ पवन कुमार, सतीश, रोहिताश पुत्रान जयसिंह, अनीता, सुमन पुत्रीयान जयसिंह जाति मेघवाल निवासी झिरण्डिया प्रत्येक का 7/288 भाग, 7/288 भाग आर्थात कुल खाते का 56/288 भाग रकबा 0.0427 है0 कुल किता 2 रकबा 0.1427 है0 को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनाक 27.06.2022 को विधिक रूप से प्रतिफल राशि अदा कर खरीद की गयी है, बयनामा के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1276 हल्का पटवारी गंज के द्वारा दिनाक 13.09.2022 को दर्ज करते समय आराजी खसरा न0 340 रकबा 0.2000 है0 की बाबत नामान्तकरण में इन्द्राज सही अंकित कर दिया किन्तु आराजी खसरा न0 166 रकबा 0.2200 है0 खाता संख्या 219 का अंकन विक्रेतागन द्वारा विक्रय किये गये 56/288 हिस्सा में से महज 49/288 हिस्सा दर्ज कर दिया तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया तहत अदालत द्वारा पारित पारित निर्णय न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्टान स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ तहसीलदार किशनगढबास को प्रतिप्रेषित किया जाता है, नामान्तकरण संख्या 1276 में वर्णित आराजी खसरा न0 166 रकबा 0.2200 है0 के बाबत पक्षकारान के मध्य हुऐ बयनामा में अंकित हिस्से के बाबत पुनः जॉच कर अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 24.07.2024 नामान्तकरण संख्या 1276 ग्राम झिरण्डिया तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलेक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

जिला कलेक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)